न्यायालयः– अजय कुमार खाखा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलौदाबाजार,

जिला– बलौदाबजार भाटापारा, छ०ग०

// विभाजन आदेश संबंधी आवश्यक निर्देश//

1. बलौदाबाजार जिले के समस्त क्षेत्रों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माननीय सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार को सूचित करते हुए मोटरयान संबंधित चलित न्यायालय लगा सकेंगे।

2. बलौदाबाजार मुख्यालय में पदस्थ एवं बाह्य न्यायालय में पदस्थ अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलौदाबाजार से अनुमति लेकर एवं माननीय सत्र न्यायाधीश को सूचित करते हुए अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मोटरयान संबंधित चलित न्यायालय लगाया जा सकेगा।

3. धारा 164 द.प्र.सं. के तहत् साक्ष्य एवं संस्वीकृतियों तथा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52(क) और नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (जप्ती भण्डारण नमूनाकरण और निपटान) नियम, 2022 के नियम 18 के तहत् जप्त सामाग्री की प्रमाणित सूची, फोटोग्राफ और नमूने को न्यायिक मजिस्ट्रेट परिशिष्ट ''ए'' के अनुसार दर्ज करेंगे।

4. संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित आरक्षी केन्द्र से प्रस्तुत होने वाले खात्मा कार्यवाही करेंगे तथा खारिजी संबंधित कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

5. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने, लिंक कोर्ट में रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने या न्यायालय के रिक्त रहने पर, उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य व्यवस्था, परिशिष्ट ''बी'' के अनुसार संपादित किया जायेगा।

6. ऐसे अन्य मामले जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में उल्लेख नहीं है, उसका निराकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलौदाबाजार द्वारा किया जायेगा।

7. अन्य प्रकार के शंका की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में, मुख्यालय में पदस्थ मुख्य/वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों का निराकरण करेंगे और कोई भी मजिस्ट्रेट अवकाश या अन्य किसी कारण से कार्यरत न हो वहां परिशिष्ट ''बी'' के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

8. संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में, उनके थाना क्षेत्रों से उत्पन्न संक्षिप्त विचारण द्वारा निराकृत किये जा सकने योग्य प्रकरण, उनके अवकाश पर, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, परिशिष्ट ''बी'' के अनुसार, प्रस्तुत, पंजीबद्ध एवं निराकृत किये जा सकेंगे।

9. अवकाश पर या मुख्यालय से बाहर जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित आपसी सामांजस्य रचकर प्रभार में रहने वाले परिशिष्ट ''बी'' के मजिस्ट्रेट (कार्य उत्तरवर्तीय) को अवकाश की लिखित एवं मौखिक (टेलीफोन से या अन्यथा) सूचना अवकाश पर प्रस्थान के पूर्व अनिवार्यतः देंगे।

10. यह दाण्डिक कार्य विभाजन माननीय जिला न्यायाधीश, बलौदाबाजार द्वारा अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा।

11. परिशिष्ट ''बी'' में दिये गये क्रमांक एवं विशिष्टियों को उनके निरंतरता के क्रम में पढ़ा जावेगा।

सही/-

(अजय कुमार खाखा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

बलौदाबाजार (छ०ग०)

क्रमांक– /मु.न्या. मजि./2024 बलौदाबाजार, दिनांक 01.08.2024

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ०ग० को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार, छ०ग० को अनुमोदन एवं सूचनार्थ सादर प्रेषित;
3. माननीय प्रथम/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार, छ०ग० को सादर सूचनार्थ प्रेषित;
4. माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, भाटापारा, छ०ग० को सादर सूचनार्थ प्रेषित;
5. कायार्लय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार, छ०ग० को सादर सूचनार्थ प्रेषित;
6. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार, छ०ग० को सूचनार्थ प्रेषित;
7. श्री/श्रीमती/सुश्री/.. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय श्रेणी, बलौदबाजार/कसडोल/ सिमगा/भाटापारा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित;
8. श्रीमान् कलेक्टर, बलौदाबाजार, छ०ग० को अपने अधिनस्थ समस्त विभागों के मध्य इस आदेश के प्रसारण एवं आदेशानुसार कार्य करने सूचनार्थ प्रेषित;
9. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार, छ०ग० को अपने अधिनस्थ समस्त थाना/चौकी के प्रभारियों के मध्य इस आदेश के प्रसारण एवं आदेशानुसार कार्य करने सूचनार्थ प्रेषित;
10. वन मण्डलाधिकारी, जिला बलौदाबाजार को अपने अधिनस्थ रेंज प्रभारियों के मध्य इस आदेश के प्रसारण एवं आदेशानुसार कार्य करने सूचनार्थ प्रेषित;
11. मण्डल प्रबंधक, बारनवापारा परियोजना मण्डल, रायपुर, छ०ग० राज्य वन विकास निगम को अपने अधिनस्थ रेंज प्रभारियों के मध्य आदेश के प्रसारण एवं आदेशानुसार कार्य करने सूचनार्थ प्रेषित;
12. जिला आबकारी अधिकारी की ओर सभी वृत्त प्रभारियों को सूचित करने हेतु प्रेषित;
13. श्रीमान् अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, बलौदाबाजार / भाटापारा / सिमगा / कसडोल, छ०ग० को सूचनार्थ प्रेषित;
14. जिला अभियोजन अधिकारी, बलौदाबाजार, छ०ग० को जिला बलौदाबाजार में कार्यरत समस्त अभियोजन अधिकारियों के मध्य इस आदेश के प्रसारण एवं आदेशानुसार कार्य करने सूचनार्थ प्रेषित;

15. रजिस्ट्रार, सेंट्रल फाईलिंग सेक्शन बलौदाबाजार, छ०ग० को सूचनार्थ प्रेषित।

सही/–

(अजय कुमार खाखा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बलौदाबाजार (छ०ग०)